

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

सचिव सं०-09/ निवि- स्था० एवं प्रवि० (कार्यालय धार)-01-05/2026

85(8) मध्य पटना दिनांक- 25/5/2026

संवामें,

मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(संलग्न विवरणी के अनुसार)।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मींग संख्या-41 के मुख्य शीर्ष- 3054 -सड़क तथा संतु उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन उपशीर्ष- 0001 निर्देशन मतदेय के अन्तर्गत निवि का आवंटन।

आदेश :-

उपयुक्त शीर्ष के अन्तर्गत कुल ₹5,51,268/- (पाँच लाख इक्यावन हजार दो सौ अड़सठ रुपये) मात्र का संलग्न विवरणी के अनुसार राशि आवंटित किया जाता है।

- यह व्यय उपयुक्त शीर्ष के अन्तर्गत उचित ईकाई में वहन किया जायेगा तथा पथ निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2026-27 में बजट उपबंधित राशि से इसका भुगतान किया जायेगा। इस राशि का विपत्र कोड- 41-3054800010001 है।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटन से अधिक व्यय के लिए आप पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
- यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/ वि०(2) दि०-17.04.1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों, वित्त विभागीय पत्रांक-236/वि०, दिनांक-09.03.2026 एवं पत्रांक-314/वि० दिनांक-01.04.2026 में दिये गये निर्देश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- विभागीय पत्रांक-6200 (एस०) दिनांक-13.08.18 एवं 7758 (एस०) दिनांक-15.10.18 के आलोक में नियोजित सहायक अभियंता (असैनिक) के पारिश्रमिक का नियमानुकूल भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- विभागीय पत्रांक-2585 (एस०) दिनांक-08.04.2026 एवं ज्ञापांक-3854 (एस०) दिनांक-02.06.2026 के आलोक में (अप्रैल-2026 से मार्च-2027) बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के जिलास्तरीय पैनल से लिए जा रहे कार्यपालक सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (भाड़े का डेस्कटॉप, कम्प्यूटर सिरटम, यू०पी०एस०, लेजर प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन सहित) को मानदेय /पारिश्रमिक का नियमानुकूल भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- विभागीय आदेश संख्या-5750 (एस०) दिनांक-27.06.2025 के द्वारा यंत्रिक उपभाग का पुनर्गठन किया गया है।
- भुगतान राशि की देयता एवं शुद्धता के संबंध में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- ईकाईवार आवंटित राशि के विरुद्ध बचत की राशि को इकाईवार प्रत्यापन दिनांक-15.02.2027 तक किया जाय अन्यथा इसे स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्ण रूपेण उत्तर दायी होंगे। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं/ स्थापना मद पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी योजनावार अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजा जाय।
- प्रस्ताव पर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
- इस की सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

अनु० :- यथोक्त।

(अंजनी कुमार)
24/5/26

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र० को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आप सं० : - ०१/ निधि-स्था० एवं प्रति० (कार्यालय व्यव)-०१-०५/२०२६

४४३/२०२६

पटना, दिनांक- २३/५/२०२६

प्रतिलिपि:-अगुलमनक सहित महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव/सचिव,कोषांग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, प० नि० वि०, पटना/ निदेशक (क्रय० एवं परि०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ मुख्य अभियंता (अनुसूचण), प० नि० वि०, पटना/ मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), प० नि० वि०, पटना/ संयुक्त सचिव (प्र० को०), प० नि० वि०, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी-१/ लेखा प्रशाखा, पथ निर्माण विभाग एवं आई० टी० मैनेजर (फैक्स एवं ई मेल हेतु), प० नि० वि०, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अंजनी कुमार
(अंजनी कुमार)
२५/०५/२६

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दीपेश कुमार
(दीपेश कुमार)
२५/०५/२०२६

संयुक्त सचिव (प्र० को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

५५

